न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 193/2018

1.रामराज उम्र 42 वर्ष पुत्र गोपाल
2.ओम प्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र गोपाल
निवासीगण नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर — वादीगण

बनाम

1. जसौदा उम्र 70 वर्ष पत्नि रामचंद्र
2. घीसी उम्र 38 वर्ष पुत्री रामचंद्र
3. अमरा उम्र 50 वर्ष पुत्र रामचंद्र
4. रामेश्वर उम्र 48 वर्ष पुत्र रामचंद्र
5. घीसालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र रामचंद्र
6. शिवराज उम्र 42 वर्ष पुत्र रामचंद्र
7. घासीराम उम्र 35 वर्ष पुत्र रामचंद्र
8. बदाम उम्र 65 वर्ष पत्नि मगना
9. घमला उम्र 46 वर्ष पुत्री मगना
10. जोधा उम्र 44 वर्ष पुत्र मगना
11. श्यौजी उम्र 41 वर्ष पुत्र मगना
12. किशनलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र मांगीलाल
13. रतनलाल उम्र 63 वर्ष पुत्र मांगीलाल

समस्त जातिगण जाट निवासीगण नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)
14.राजस्थान सरकार
——प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 188,53,209 राज0टेनेन्सी एक्ट एवं 128 लेण्ट रैवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री कालूराम गुर्जर वकील— वादी
पैरोकार सरकार — प्रतिवादी संख्या 14
एक्सपार्टी —प्रतिवादीगण

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर))

निर्णय

दिनांक 08.11..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र बाबत् बॅटवारा व पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम नायकी की राजस्व जमाबंदी संवत् 2072—75 के खाता संख्या 123 मे वर्णित भूमि खसरा नंबर 1165,1187,1271, 1289,1292 कुल किता 5 रकबा 3.48 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम सहखातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 का मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता गोपाल का स्वर्गवास हा चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी 2 लगायत 7 के पिता रामचंद्र व प्रतिवादी संख्या 8 के पति व प्रतिवादी 9 लगायत 11 के पिता मगना व मांगीलाल का स्वर्गवास हो जाने के फलस्वरूप वाद

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

वर्णित आराजी का नामा0 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के नाम खुल चुका है जब से ही वाद वर्णित आराजीयात मे वादीगण का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 8लगायत 11 का 1/8 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का 1/8 हिस्सा है। वादीगण के हिस्से की आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 आये दिन फसल को नष्ट भ्रष्ट करते है। हकाई बुवाई करते समय वादीगण के हिस्से की मेड़ इत्यादि को तोड़ देते है।वादीगण के हिस्से की आराजीयात मे अवैध कब्जा व लड़ाई झगडे पर उतारू है जिसके कारण वादीगण द्धारा यह वाद पेश किया गया गया था। पक्षकारान् को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाकर इस वाद का मुताबिक जमाबंदी बॅटवारा किया जाने हेतु स्वीकार कर निर्णय व प्रारम्भिक डिकि दिनांक 17.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया था जिसके तहत तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था कि वे वादग्रस्त आराजी का बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक जमाबंदी मे दर्ज हिस्से व मौका अनुसार बॅटवारा प्रस्ताव तैयार कर मय मौका पर्चा व नक्शा ट्रैस के भिजवाने हेतु निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी जारी की गई थी। तहसीलदार केकड़ी द्धारा उनके प्रस्ताव क्रमांक/भू.अ./19/936 दिनांक 25.02.19के द्धारा बॅटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पक्षकारान् को बंटवारा प्रस्ताव पर सुना गया। वकील वादी को बंटवारा प्रस्ताव स्वीकृत करने मे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण के पूर्व मे एक्सपार्टी की जा चुकी है। वकील वादी ने तहसीलदार केकड़ी द्धारा प्रेषित बॅटवारा प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की सहमति दी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बॅटवारा किया जाकर पक्षकारान् के अलग अलग खाते कायम किये जावेः–

कमांक	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1.	रामराज,ओमप्रकाश पि0गोपाल,कौम जाट सा0देह खातेदार हि03/8,मैसर्स बी.आर.जी.ग्रेनाईट प्रा.लि.14 श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर जरिये कालूराम रामेश्वर,लालाराम,रामगोपाल पिता भागीरथ जाट सा0गोपालनगर बस स्टैण्ड बाग की ढ़ाणी लदाना तह0फागी हि.1/8	1271	0.18	बा.उत्तम
		किता	0.18	
2.	रामराज,ओमप्रकाश पि.गोपाल कौम जाट सा.देह खातेदार	1292 1289	0.26 0.46	बा.उत्तम बा.उत्तम
		किता 2	0.72	
3.	जसोदा पत्नि रामचंद हिस्सा 1/84,घीसी पुत्रीरामचंद्र 1/84,जोधा,श्यौजी पि0 मगना हि01/12 कौम जाट,बदाम पत्नि मगना,घमला/ मगना 1/24,किशनलाल रतनलाल पिता मांगीलाल कौम जाट हि.1/4 ,अमरा,रामेश्वर,घीसालाल शिवराज,घासीराम पि. रामचंद्र हि017/168सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर	1271/1 1289/1 1292/1	0.17 0.46 0.27	बा.उत्तम बा.उत्तम बा.उत्तम
		किता 3	0.90	

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

वाद पत्र मे अंकित खसरा नम्बर 1165 तथा 1187 मौके पर रास्ते के उपयोग मे आना तहसीलदार ने जाहिर किया है अतः इस अराजी का बॅटवारा नहीं किया जा रहा है तथा आराजी खातेदारों के पूर्वानुसार दर्ज रहेगी।इसी प्रकार वादीगण द्धारा अपना 1/8 हिस्सा अन्य खातेदार को विक्रय कर दिया है अतः1/8 हिस्सा क्रेतागण के नाम अंकित किया गया है। वादीगण 100रू का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र प्रस्तुत करे तब अंतिम डिकरी उक्तानुसार जारी की जावे। तहसीलदार केकड़ी उक्तानुसार अलग अलग खाते कायम कर राजस्व रेकार्ड व नक्शें ट्रेंस मे अमल दरामद करे तथा आराजी को अलग अलग नाप चौंप कर पत्थर गढ़ी की कार्यवाही नियमानुसर की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया ।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
केकड़ी (जिला-अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राज)

राजस्व वाद सं० 193/18

1. रामराज उम्र 42 वर्ष पुत्र गोपाल
2. ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र गोपाल

निवासीगण नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर — वादीगण

बनाम

1. जसौदा उम्र 70 वर्ष पत्नि रामचंद्र
2. धीसी उम्र 38 वर्ष पुत्री रामचंद्र
3. भमरा उम्र 50 वर्ष पुत्र रामचंद्र
4. रामेश्वर उम्र 48 वर्ष पुत्र रामचंद्र
5. धीसालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र रामचंद्र
6. शिवराज उम्र 42 वर्ष पुत्र रामचंद्र
7. घासीराम उम्र 35 वर्ष पुत्र रामचंद्र
8. बहाम उम्र 65 वर्ष पत्नि मगना
9. घमला उम्र 46 वर्ष पुत्री मगना
10. जोधा उम्र 44 वर्ष पुत्र मगना
11. श्योजी उम्र 41 वर्ष पुत्र मगना
12. किशनलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र मौगीलाल
13. रतनलाल उम्र 63 वर्ष पुत्र मौगीलाल

समस्त जातिगण जाट निवासीगण नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 53, 209, राज० टिनेन्सी एक्ट एवं 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

—•—

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)

उपखण्ड अधिकारी

केकडी (जिला-अजमेर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AS 606391

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. न्यायभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) -10% रुपये 10
2. गौवंश और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) -10% रुपये 10
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर
कुल योग - 20

उपकोष केकड़ी
17 SEP 2019
जिला-अजमेर (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6-7 जा० दी०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

दावा बाबत 188, 53, 209 राज० काश्त० अधि० व 128 राज० भू राजस्व अधि०
मुकदमा नं० 193/18 रामराज व अन्य बनाम जसौदा व अन्य
(विस्तृत उनवान पुश्त पर दर्ज है)

वादीगण की ओर से श्री कालूराम गुर्जर व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में वाद में आज तारीख 21.11.2019 को 12:15 बजे (पीठासीन अधिकारी) श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष अंतिम विचार के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकरी दी जाती है :→

वादी ग्राम नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की राजस्व जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता सं. 123 में वर्णित ग्राम खसरा नम्बर 1165, 1187, 1271, 1289, 1292 कुल किता 5 रकबा 3.48 है० भूमि का मुताबिक जमाबंदी बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर डिकरी किया गया था व तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था कि वे वादग्रस्त आराजी का बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकड़ी द्वारा उनके पत्र क्रमांक /भू०अ०/19/936 दिनांक 25-2-19 के द्वारा प्राप्त हुआ है। वादी को बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण की पूर्व में ही एकपक्षीय हो चुकी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पक्षकारान के अलग अलग खाते कायम किये जावे।

क्रमांक (1)	नाम खातेदार (2)	ख० नं० (3)	रकबा (4)	किस्म (5)
1.	रामराज, ओमप्रकाश पि० गोपाल मीणा जाट सा० हेह खातेदार हि० 3/8, मैसर्स बी०आर०जी० ग्रेनाइट प्रा० लि० 14-श्री गोपालनगर, गोपालपुरा बाई पास जयपुर जरिये कालूराम, राजेश्वर, लालाराम, रामगोपाल पिता भागीरथ जाट साकिन गोपालनगर बस स्टैण्ड नाग की ढाणी (लहना तह० फागी हि० 1/8	1271	0.18	बा० उत्तम
		किता 1	0.18	

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	रामराज, ओमप्रकाश पि० गोपाल कौम जाट सा० हेह खातेदार	1292 1289	0.26 0.46	गा०उतम गा०उतम
		किता 2	0.72	
3.	जसोदा पत्नि रामचंद्र हि० 1/84, धीसी पुत्री रामचंद्र 1/84, बदाम पत्नि मंगला, धमला पुत्री मगना हि० शोभा, रथौजी पि० मगना 1/12 कौम जाट, किशन लाल, रतन लाल पि० ~~[illegible]~~ मांगीलाल हि० 1/4, अमरा रामेश्वर, धीसालाल, शिवराज, कासीराम पिता रामचंद्र 17/168 सा० हेह खातेदार	1271/1 1289/1 1292/1	0.17 0.46 0.27	गा०उतम गा०उतम गा०उतम
		किता 3	0.90	

वाद पत्र मे अंकित खसरा नम्बर 1165 तथा 1187 मौके पर रास्ते के उपयोग मे आना तहसीलदार ने जाहिर किया है अत: इस आराजी का बटवारा नही किया जा रहा है। तथा आराजी खातेदारो के शेयरानुसार दर्ज रहेगी। इसी प्रकार वादीगण द्वारा अपना 1/8 हिस्सा अन्य खातेदार को विक्रय कर दिया है अत: 1/8 हिस्सा क्रेतागण के नाम अंकित किया गया है। वादीगण ने 100 रू का नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र प्रस्तुत किया है। अत: अंतिम डिक्री इस स्टाम्प पेपर पर जारी की जा रही है। तहसीलदार केकड़ी उक्तानुसार अलग अलग खाते कायम कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.02 12:41:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: